भारतीय गैर न्यायिक

भारत

दस रुपये

रु.10

TEN RUPEES

Rs.10

सत्यमेव जयते

INDIA

INDIA NON JUDICIAL

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

23AD 032656

160/17

3411/08

5459/-

10/-

क्रम संख्या 1473

स्टाम्प विक्रय की तिथि 21-11-17

स्टाम्प क्रय करने का प्रयोजन

स्टाम्प क्रेता का नाम व पता प्रदीप श्रीवास्तव (स्वयं)

स्टाम्प की धनराशि 10 द्वारा

हंसराज यादव, स्टाम्प विक्रेता

लाइसेन्स नम्बर 229,

ला० की अवधि 31-03-2019

कलेक्ट्रेट कोर्ट, लखनऊ

भारतीय गैर न्यायिक INDIA NON JUDICIAL

भारत

रु.5000 Rs.5000

पाँच हजार रुपये FIVE THOUSAND RUPEES

सत्यमेव जयते

INDIA

UTTAR PRADESH

19 AUG 2008

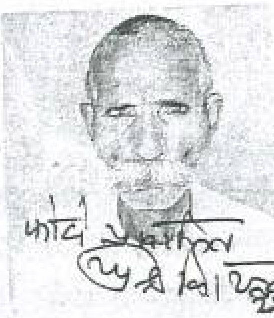
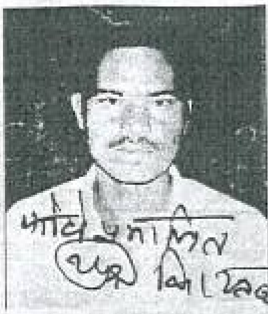
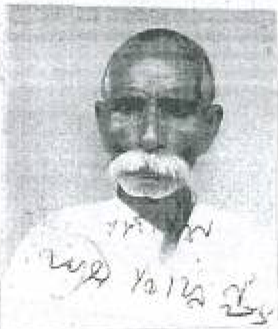
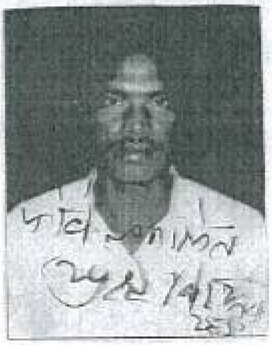

लेख पत्र का संक्षिप्त विवरण

1.	भूमि का प्रकार	:	कृषि
2.	परगना	:	मोहनलालगंज
3.	मोहल्ला / ग्राम	:	मोअज्जमनगर
4.	सम्पत्ति का विवरण	:	खसरा सं0—63 व 68 ख
5.	मापन की इकाई	:	हेक्टेयर

२०.३.०८

क्रम संख्या 812

स्टाम्प की धनराशि 5000

ताहिर अली स्टाम्प विक्रेता
लाइसेन्स नम्बर 151, कलेक्ट्रेट लखनऊ
लाइसेन्स की अवधि 31-3-2009

फोटो स्टेट प्रति मय दस्तावेज की सत्यप्रति है।
हस्ताक्षर विक्रेता

विक्रय 1098000/- मालि० 865200/-
नि०शु० 5000/- उ०न० 10/- उ०मु० 10/- योग 5020/- शब्द ल०म० 600

श्री/श्रीमती सुखई पुत्र/पत्नी
पेशा खेती निवासी
यह लेख पत्र कार्यालय उप-निबन्धक मोहनलालगंज
लखनऊ मे आज दिनाँक 20/03/08 मध्य समय में
प्रस्तुत किया।

उप निबन्धक
मोहनलालगंज, लखनऊ
20/03/08

निष्पादन लेख पत्र बाद सुनने व समझने मजमून व प्राप्त धन राशि 1098000/- प्रलेखानुसार उक्त
सक्त श्री

Bihari

भारतीय गैर न्यायिक INDIA NON JUDICIAL

भारत

रु.5000

पाँच हजार रुपये

Rs.5000

FIVE THOUSAND RUPEES

सत्यमेव जयते

INDIA

प्रदेश UTTAR PRADESH

D 238790

29 JUN 2008

स. को. अ/कोषाधिकारी
कोषागार लखनऊ
T.R.Y. L.K.O.

(2)

6.	सम्पत्ति का क्षेत्रफल	:	0.3090 हेक्टेयर
7.	सड़क की स्थिति	:	लिंक मार्ग पर स्थित नहीं है।
8.	अन्य विवरण	:	लागू नहीं
9.	सम्पत्ति का प्रकार	:	कृषि भूमि
10.	सम्पत्ति का कुल क्षेत्रफल	:	0.3090 हेक्टेयर
11.	कुल अच्छादित क्षेत्रफल	:	लागू नहीं है।
12.	स्थिति	:	लागू नहीं है।
13.	पेड़ों का मूल्यांकन	:	नहीं
14.	बोरिंग/कुआं/अन्य	:	लागू नहीं है।
15.	निर्मित क्षेत्रफल	:	लागू नहीं है।
16.	निर्माण का वर्ष	:	लागू नहीं है।
17.	सहकारी आवास समिति के सदस्य से सम्बन्धित है	:	नहीं
18.	प्रतिफल की धनराशि	:	रू0 10,98,000/–

जब दिया ——

रु.क्या दिया ——

क्रमांक .... दिनांक ....

कीमत .... मोहर ....

नाम ....

पता ....

प्रभा कान्त शर्मा ल० नं० 127

31-3-2013, कलक्ट्रेट, लखनऊ

जिनकी पहचान श्री............

पुत्र श्री............

निवासी............

व श्री............

पेशा............

उप निबन्धक

मोहनलालगंज, लखनऊ

प्रत्यक्षतः भद्र साक्षियों ...

अंगूठा नियमानुसार लिये गये ...

उप निबन्धक

मोहनलालगंज, ल...

भारतीय गैर न्यायिक INDIA NON JUDICIAL

भारत

रु.5000 Rs.5000

पाँच हज़ार रुपये FIVE THOUSAND RUPEES

सत्यमेव जयते

INDIA

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

D 238789

29 JUN 2008

स. को. अ/कोषाधिकारी

कोषागार लखनऊ

T.R.Y. L.K.O.

(3)

<u>चौहद्दी खसरा सं0 63 –</u>

पूरब	–	गाटा सं0 61 कृषि भूमि
पश्चिम	–	गाटा सं0 65 कृषि भूमि
उत्तर	–	गाटा सं0 60 कृषि भूमि
दक्षिण	–	गाटा सं0 64 कृषि भूमि

<u>चौहद्दी खसरा सं0 68 ख–</u>

पूरब	–	गाटा सं0 180 कृषि भूमि
पश्चिम	–	गाटा सं0 70 कृषि भूमि
उत्तर	–	गाटा सं0 67 कृषि भूमि
दक्षिण	–	गाटा सं0 69 कृषि भूमि

उप निबन्धक

उप निबन्धक

क्रमांक [illegible] दिनांक [illegible]

कीमत [illegible] वेंडर

नाम बिहारी लाल पु० प्यारे

पता

प्रभा कान्त शर्मा ल० नं० 127
31-3-2010, कलक्ट्रेट, लखनऊ

भारतीय गैर न्यायिक INDIA NON JUDICIAL

भारत

रु.5000 Rs.5000

पाँच हजार रुपये FIVE THOUSAND RUPEES

सत्यमेव जयते

INDIA

प्रदेश UTTAR PRADESH

D 211183

(4)

<u>विक्रेता की सं0–1</u>

सुकई, पुत्र नन्हें निवासी–मोअज्जमनगर परगना व तहसील मोहनलालगंज, जनपद लखनऊ।

<u>क्रेता की सं0–1</u>

'बिहारी लाल' पुत्र स्व0 दयाराम निवासी बी–46, जे0 पार्क महानगर, लखनऊ।

क्रमांक .... दिनांक ....

कीमत .... योग ....

नाम ....

पता ....

प्रभा कान्त शर्मा ला० नं० 127
31-3-2013, कलक्ट्रेट, लखनऊ

भारतीय गैर न्यायिक INDIA NON JUDICIAL

भारत

रु.5000 Rs.5000

पाँच हजार रुपये FIVE THOUSAND RUPEES

सत्यमेव जयते

INDIA

देश UTTAR PRADESH

D 200320

(5)

परगना	:	**मोहनलालगंज**
विक्रय–मूल्य	:	10,98,000/–
बाज़ारू–मूल्य	:	86,520/–
स्टाम्प ड्यूटी	:	54,900/–

–:: विक्रय विलेख ::–

यह विक्रय–विलेख **सुकई**, पुत्र नन्हें निवासी–मोअज्जमनगर परगना व तहसील मोहनलालगंज, जनपद लखनऊ (जिसे एतद्द्वारा **"विक्रेता"** कहा गया है और जिसका तात्पर्य जिसमें जब तक कि कोई बात प्रसंग के प्रतिकूल न हो,

क्रम सं० 3865 दिनांक 20.8.08

[illegible] ....

क्रेता का नाम व पता .... [illegible]

[illegible] मुद्रांक

ला० 73 [illegible], लखनऊ

[illegible] अवधि 31-[illegible]

भारतीय गैर न्यायिक INDIA NON JUDICIAL

भारत

रु.5000 Rs.5000

पाँच हजार रुपये FIVE THOUSAND RUPEES

सत्यमेव जयते

INDIA

प्रदेश UTTAR PRADESH

D 059018

12 AUG

(6)

उक्त विक्रेता, उनके उत्तराधिकारी, विधिक प्रतिनिधि, निष्पादक एवं प्रशासक से है और सम्मिलित हैं।)

एवम्

बिहारी लाल' पुत्र स्व0 दयाराम निवासी बी–46, जे0 पार्क महानगर, लखनऊ (जिन्हे एतद्द्वारा "**क्रेता**" कहा गया है, और जिसका तात्पर्य और जिसमें जब तक कि कोई बात प्रसंग के प्रतिकूल न हो, उक्त क्रेता, उसके उत्तराधिकारी, विधिक प्रतिनिधि, निष्पादक एवं प्रशासक से है और सम्मिलित हैं) के मध्य निष्पादित किया गया।

क्रम सं. 3066 दिनांक 20-8-08

[illegible]

क्रेता का नाम व पता बिहारी लाल [illegible] [illegible]

[illegible]
लाइ. 73 [illegible] लखनऊ
लाइ० की अवधि 31-3-2010

भारतीय गैर न्यायिक INDIA NON JUDICIAL

भारत

रु.5000 Rs.5000

पाँच हजार रुपये FIVE THOUSAND RUPEES

सत्यमेव जयते

INDIA

UTTAR PRADESH

D. 200321

(7)

जोकि खसरा संख्या 63 रकबा 0.0130 हेक्टेयर व खसरा संख्या 68 ख रकबा 0.2960 हेक्टेयर, दो किता सम्पूर्ण भाग जिसका कि कुल रकबा 0.3090 हेक्टेयर है उक्त भूमि ग्राम मोअज्जमनगर परगना व तहसील मोहनलालगंज, जनपद लखनऊ में स्थित है और जिसका कि प्रथम पक्ष श्रेणी 1 क का खातेदार व संक्रमणीय भूमिधर है।

जोकि उपरोक्त आराजी का विक्रेता सम्पूर्ण भाग का मालिक है व जिस पर कि उसका निरन्तर कब्जा है व उसे उक्त आराजी को स्थानान्तरित करने का पूर्ण अधिकार प्राप्त है। जोकि उक्त आराजी विक्रेता के नाम राजस्व अभिलेखों में दर्ज है।

3782 [illegible]   20.8.08

[illegible]

[illegible]

[illegible]

भारतीय गैर न्यायिक INDIA NON JUDICIAL

भारत

रु.5000 Rs.5000

पाँच हजार रुपये FIVE THOUSAND RUPEES

सत्यमेव जयते

INDIA

प्रदेश UTTAR PRADESH

D 238678

JUL 2008

(8)

जोकि ग्राम अज्जमनगर के लेखपाल द्वारा दिनांक 19.08.2008 को जारी किये गये उद्वरण खसरा के अनुसार उपरोक्त खसरा सं0 63 व 68 ख विक्रेता के नाम बतौर संक्रमणीय भूमिधर अभिलिखित है।

जोकि कार्यालय तहसीलदार (भू-लेख अनुभाग) मोहनलालगंज, लखनऊ द्वारा दिनांक 19.06.2008 को जारी की गयी प्रमाणित उद्वरण खतौनी जोकि फसली वर्ष 1410-1415 से सम्बन्धित है और जिसका कि खाता खतौनी क्रम सं0 39030600226 है के अनुसार विक्रेता का नाम बतौर संक्रमणीय भूमिधर राजस्व अभिलेखों में अभिलिखित है।

क्रम संख्या 4976

स्टाम्प विक्रय की तिथि ....

प्रयोजन ....

स्टाम्प क्रेता का नाम व पूरा पता ....

....

स्टाम्प की धनराशि ....

एस० दीक्षित ला० न० 105

ला० की अवधि 31-03-2013 त्रिवेणी नगर लखनऊ

भारतीय गैर न्यायिक INDIA NON JUDICIAL

भारत

रु.5000 Rs.5000

पाँच हजार रुपये FIVE THOUSAND RUPEES

सत्यमेव जयते

INDIA

प्रदेश UTTAR PRADESH

D 085460

19 AUG 2008

(9)

जोकि विक्रेता उद्‌घोषित करता है कि उनके द्वारा भूमि अर्जन अधिनियम 1894 की धारा 4 (पार्ट–3) के अन्तर्गत न तो सक्षम प्राधिकारी से कोई नोटिस प्राप्त हुई है और न ही उन्हें उपरोक्त प्रावधानों के अन्तर्गत, उक्त आराजी से सम्बन्धित अधिग्रहण की किसी भी नोटिस के प्रकाशन का ज्ञान है।

जोकि विक्रेता यह भी वचन देता है व उद्‌घोषित करता है कि उपरोक्त खसरा सं0 63 व 68 ख विक्रेता व उसके पूर्वजों द्वारा उसके जुज़ भाग से सम्बन्धित किसी भी समय किसी व्यक्ति से या कम्पनी या विधिक अस्तित्व, से न तो कोई पंजीकृत या अपंजीकृत इकरारनामा ही किया गया है और न ही उसके द्वारा उक्त खसरा संख्या से सम्बन्धित कोई विक्रय विलेख निष्पादित किया गया है।

Bikari dal

क्रमांक 1890 ... 20/8/08

दिनांक ...

प्रयोजन ...

क्रेता का नाम ...

पता ...

कु० लता श्रीवास्तव

ला० नं० 53 ला० अ० 31/3/2010

कलेक्ट्रेट कोर्ट, लखनऊ

भारतीय गैर न्यायिक INDIA NON JUDICIAL

भारत

रु.5000 पाँच हजार रुपये

Rs.5000 FIVE THOUSAND RUPEES

सत्यमेव जयते

INDIA

UTTAR PRADESH

D 085459

19 AUG 2008

(10)

जोकि विक्रेता वचन देता है व उद्‌घोषित करता है कि इस विक्रय अभिलेख के पूर्व उनके द्वारा उपरोक्त आराजी में अपने हिस्से व उसके जुज़ भाग से सम्बन्धित उसके द्वारा किसी समय भी किसी व्यक्ति, फर्म, कम्पनी या विधिक अस्तित्व से न तो कोई बयाना नगद व चेक व बैंक ड्राफ्ट द्वारा लिया गया है और न ही पंजीकृत या अपंजीकृत इकरारनामा किया गया है और न ही कोई विक्रय अभिलेख निष्पादित किया गया हैं। वर्तमान में क्रेता के पक्ष में निष्पादित किया जा रहा उपरोक्त विक्रय अभिलेख, उपरोक्त आराजी से सम्बन्धित, प्रथम विक्रय अभिलेख है।

क्रमांक ...1391... [illegible]
दिनांक ...20/8/[illegible]...
[illegible]
क्रेता का नाम ...[illegible]... [illegible]
पता ...
डॉ० लता श्रीवास्तव
[illegible] सं० 58 ला० [illegible] 51/5/20[illegible]
कलेक्ट्रेट कोर्ट, लखनऊ

भारतीय गैर न्यायिक INDIA NON JUDICIAL

एक हजार रुपये ONE THOUSAND RUPEES

रु.1000 Rs.1000

सत्यमेव जयते

INDIA

UTTAR PRADESH

E 646186
19 AUG 2006

(11)

जोकि विक्रेता वचन देता है व उद्घोषित करता है कि उपरोक्त आराजी खसरा संख्या –63 व 68 ख स्थित ग्राम मोअज्जमनगर लखनऊ का वह पूर्ण तथा अनन्य स्वामी है और जिसमें कि विक्रेता के अतिरिक्त किसी अन्य व्यक्ति का कोई भी हिस्सा या किसी प्रकार का कोई भी हक या अधिकार प्राप्त नहीं है। इसके अतिरिक्त उक्त आराजी किसी भी हिन्दू अविभाजित परिवार से सम्बन्धित नहीं है।

क्रमांक 9892 धनराशि 1000/-

दिनांक 9/8/09

प्रयोजन

क्रेता का नाम सिद्धार्थ लाल S/o — [illegible] राम —

पता

कु० लता श्रीवास्तव

ला० नं० 58 ला० ता० 31/3/2010

कलेक्ट्रेट कोर्ट, लखनऊ

भारतीय गैर न्यायिक INDIA NON JUDICIAL

भारत

एक हजार रुपये ONE THOUSAND RUPEES

रु.1000 Rs.1000

सत्यमेव जयते

INDIA

UTTAR PRADESH

E 646185

(12)

जोकि उपरोक्त आराजी मशकूर कहीं किसी तौर पर, बय, बन्धक, हिबा या मुश्तगरक ज़मानत वग़ैरह नहीं है या इन्कम–टैक्स या सेल्स–टैक्स या किसी मुकदमें की डिक्री की रकम की वसूलयाबी में कुर्क बरसरे नीलाम वग़ैरह नहीं है। उक्त आराजी मज़कूर लखनऊ विकास प्राधिकरण या उत्तर प्रदेश आवास एवं विकास परिषद या सरकारी या गैर सरकारी स्कीम के तहत अधिग्रहित नहीं है और न ही वर्तमान में सरकार के किसी विभाग द्वारा किसी भी योजना के अन्तर्गत अभिग्रहण की किसी भी प्रकार की कोई कार्यवाही प्रस्तावित है। उक्त आराजी मज़कूर को हस्तांतरित करने से विक्रेता को रोका नहीं गया है, उक्त आराजी मज़कूर की मिलकियत के सिलसिले में किसी भी अदालत दीवानी या फ़ौजदारी में कोई मुकदमा विचाराधीन नहीं है। विक्रेता

क्रमांक 7893 धनराशि 1000/-
दिनांक 20/8/08
प्रयोजन
क्रेता का नाम बिहारी लाल पुत्र श्री ... राम
पता

लता श्रीवास्तव
ला० नं० 58 ता० 31/3/2018
कलेक्टरेट कोर्ट, लखनऊ

भारतीय गैर न्यायिक INDIA NON JUDICIAL

भारत

एक हजार रुपये ONE THOUSAND RUPEES

रु.1000 Rs.1000

सत्यमेव जयते

INDIA

UTTAR PRADESH

E 646184

(13)

ज़रिये किसी हुक्म इम्तिनाई मज़रिया अदालत को उक्त आराजी हर बार व दयून से पाक व साफ़ है और विक्रेता को जुमला अख़्तियारात, मालिकाना या तसर्रुफ़ाना हक़ूक़, इन्तकाली निस्बत उक्त आराजी मज़कूर के हासिल है।

जोकि विक्रेता अपनी राज़ी–खुशी व खूब–सोच व समझकर बिला किसी दबाव नाजायज़ के बदुरूस्त होश–हवास में बज़रूरत खुद के उपरोक्त कृषि आराजी खसरा सख्या 63 रकबा 0.0130 हेक्टेयर व खसरा संख्या 68 ख रकबा 0.2960 हेक्टेयर, दो किता सम्पूर्ण भाग जिसका कि कुल रकबा 0.3090 हेक्टेयर है उक्त भूमि ग्राम मोअज्जमनगर परगना व तहसील मोहनलालगंज, जनपद लखनऊ (जिसका कि विस्तृत विवरण इस विक्रय–विलेख के अंत में दिया गया है), को मय जुमला हुकूक, मुतालिकात छोड़े बिला किसी चीज़ व हक़ व जुज़

क्रमांक ९९९५ ... कीमत 10001 —
दिनांक ... २०/८/०८ ...
प्रयोजन ...
क्रेता का नाम ... विजय लाल — S/o ... —
पता ...

कु० लता श्रीवास्तव
ला० नं० 58 ला० ता० 31/3/2010
कलेक्ट्रेट कोर्ट, लखनऊ

भारतीय गैर न्यायिक INDIA NON JUDICIAL

भारत

एक हजार रुपये ONE THOUSAND RUPEES

रु.1000 Rs.1000

सत्यमेव जयते

INDIA

UTTAR PRADESH

E 646183 9 AUG 2004

स. को. अ / कोषागार आदर्श कोषागार लखनऊ

L.K.O.T.R.Y.

के बिल एवं मुबलिग रू0 10,98,000/– (रू0 दस लाख अठ्ठानब्बे हजार मात्र) जिसके आधे मुबलिग रू0 5,49,000/– (रू0 पांच लाख उन्चास हजार मात्र) बदस्त उपरोक्त क्रेता **'बिहारी लाल'** पुत्र स्व0 दयाराम निवासी बी–46, जे0 पार्क महानगर, लखनऊ को, बय कतई किया और कुल विक्रय–मूल्य अन्त में लिखे अनुसार क्रेता से समक्ष उपनिबन्धक, वसूल पाकर कब्ज़ा कतई व दख़ल मालिकाना आज की तारीख से विक्रय–शुदा उपरोक्त कृषि आराजी, रकबा उपरोक्त (जिसका कि विस्तृत विवरण इस विलेख के अन्त में दिया गया है) पर क्रेता का बखूबी करा दिया। अब विक्रेता व विक्रेता के वारिसान का कोई भी दावा व हक़ बाबत विक्रय शुदा आराजी व रक़बा उपरोक्त एवं वसूलयाबी मूलधन से नहीं रहा। अब अगर कोई शख़्स दांवा करे तो वह नाजायज़ होवे और किसी की

क्रमांक 9895 धनराशि 1000/-

दिनांक 20/8/18

प्रयोजन

क्रेता का नाम बिहारी लाल

पता

के० लता श्रीवास्तव

ला० नं० 58 ला० अ० 31/3/2019

कलेक्टेट कोर्ट, लखनऊ

भारतीय गैर न्यायिक

भारत INDIA

रु. 500 FIVE HUNDRED RUPEES

पाँच सौ रुपये Rs. 500

सत्यमेव जयते

INDIA NON JUDICIAL

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

C 668571
18 AUG 2008

स. को. अ/कोषाधिकारी
आदर्श कोषागार लखनऊ
LKO.TRY.

(15)

दावेदारी हक़दारी, उज्रदारी से विक्रय–शुदा आराजी का कुल भाग अथवा आंशिक भाग क्रेता से किसी भी समय में निकल जावे अथवा कहीं विक्रय, बन्धक, दान आदि पाया जाये तो ऐसी दशा में क्रेता को हक व अधिकार होगा कि वह अपना कुल विक्रय–मूल्य मय हर्जा व खर्चे के विक्रेता से व विक्रेता के वारिसान से या विक्रेता की अन्य चल एवं अचल सम्पत्ति जो कहीं भी स्थित हो, से वसूल कर लेवे, कोई मुकाम उज्र का न होगा।

जोकि आराजी खसरा बिक्रीशुदा के कुल सरकारी देय वगैरह आज की तारीख तक विक्रेता द्वारा अदा किये जा चुके हैं अगर भविष्य में इस विक्रय–विलेख के निष्पादन की तिथि से पूर्व किसी प्रकार का कोई बकाया पाया जाएगा तो उसे

4896 500/-

क्रमांक ...
दिनांक ... 20/8/08
प्रयोजन ...
क्रेता का नाम ... बिहारी लाल S/O [illegible] राम -
पता ...

कु० सत्ता श्रीवास्तव
लाइसेंस नं० 58 ला० आ० 31/3/20[illegible]
कलेक्टेट कोर्ट, लखनऊ

भारतीय गैर न्यायिक

एक सौ रुपये Rs. 100

रु. 100 ONE HUNDRED RUPEES

सत्यमेव जयते

भारत INDIA

INDIA NON JUDICIAL

UTTAR PRADESH

07 AUG 2008

स. को. अ / कोषाधिकारी
कोषागार लखनऊ

T R Y. L K C.

(16)

अदा करने की ज़िम्मेदारी विक्रेता की होगी तथा आज की तारीख के पश्चात् क्रेता को अधिकार होगा कि वह भूमि बिक्रीशुदा के समस्त देय वगैरह अदा करें। इसमें विक्रेता व उत्तराधिकारी–विक्रेता का कोई उज्रदारी नहीं होगी।

जोकि विक्रेता, क्रेता से प्रसंविदा करता है कि उपरोक्त विक्रीशुदा कृषि आराजी खसरा उनके द्वारा शान्ति पूर्वक प्रवेश की जायेगी और क्रेता द्वारा उसे पूर्ण स्वामी के रूप में, विक्रेता के बिना किसी हस्तक्षेप या किसी रूकावट के उपभोग व किसी प्रकार से भी इस्तेमाल की जायेगी।

जोकि विक्रेता, क्रेता से प्रसंविदा करता है कि भविष्य में उपरोक्त विक्रीशुदा कृषि आराजी खसरा को उनके द्वारा बतौर मालिक उसे उपभोग करने के लिए

क्रमांक 9897 कागज 100
दिनांक 20.8.08
प्रयोजन
लेखक का नाम
पता

डॉ० लता श्रीवास्तव
लाइ० नं० 58 ला० अ० 31/3/2010
कलेक्टेट कोर्ट, लखनऊ

भारतीय गैर न्यायिक

एक सौ रुपये Rs. 100

रु. 100 ONE HUNDRED RUPEES

सत्यमेव जयते

भारत INDIA

INDIA NON JUDICIAL

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

कोषागार लखनऊ से जारी
Y 407803
07 AUG 2008
स. को. अ / कोषाधिकारी
कोषागार लखनऊ

(17)

अगर किसी भी समय विक्रेता के किसी कृत की आवश्यकता होगी तो विक्रेता क्रेता के पक्ष में ऐसे कृत को पूर्ण व निष्पादित करने को बाध्य रहेगा।

जोकि क्रेता को पूर्ण अधिकार होगा कि विक्रेता द्वारा, उपरोक्त विक्री शुदा कृषि आराजी खसरा, निष्पादित किये गये इस विक्रय अभिलेख के आधार पर वह अपना नाम राजस्व अभिलेखों में दर्ज करा ले और जिसके लिए विक्रेता वचन देता है कि वह दाखिल खारिज की समस्त कार्यवाही में वह अपना बयान दर्ज करायेगा तथा पूर्ण सहयोग प्रदान करेगे।

जोकि विक्रेता, क्रेता से प्रसंविदा करता है कि उपरोक्त विक्रीशुदा कृषि आराजी खसरा कृषि भूमि है व राजस्व अभिलेखों में बतौर कृषि भूमि दर्ज है।

क्रमांक 9898 धनराशि 100/-

दिनांक

प्रयोजन

क्रेता का नाम

पता

के० लता श्रीवास्तव

ला० नं० 58 ला० अ० 31/3/2010

कलेक्टरेट कोर्ट, लखनऊ

भारतीय गैर न्यायिक

एक सौ रुपये Rs. 100

रु. 100 ONE HUNDRED RUPEES

सत्यमेव जयते

भारत INDIA

INDIA NON JUDICIAL

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

T.R.Y. L.K.O.
कोषागार लखनऊ से जारी
Y 407802
07 AUG 2008
स. को. अ./कोषाधिकारी
कोषागार लखनऊ

(18)

जोकि विक्रेता, वचन देता है कि उपरोक्त आराजी खसरा संख्या 63 व 68 ख की किसान बही ग्राम मोअज्जमनगर के लेखपाल द्वारा नहीं जारी की गयी है।

जोकि उपरोक्त विक्रीशुदा कृषि आराजी खसरा पर किसी प्रकार का कोई निर्माण नहीं है और न ही उक्त भूमि पर कोई कुआं/ट्यूबवेल, या बोरिंग है।

जोकि उपरोक्त विक्रीशुदा कृषि आराजी खसरा न तो बंजर है और न ही उस पर कोई तालाब है और न ही उक्त आराजी पट्टे की है।

क्रमांक... 9899 ...कागज... 100

दिनांक...

प्रयोजन...

क्रेता का नाम... विद्यार्थी...

पता...

कु० लता श्रीवास्तव

ला० नं० 58 ला० अ० 31/3/2010

कलेक्ट्रेट कोर्ट, लखनऊ

एक सौ रुपये Rs. 100
रु. 100 ONE HUNDRED RUPEES
सत्यमेव जयते
भारत INDIA
INDIA NON JUDICIAL
उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

Y 407805

07 AUG 20

स. को. अ/कोषाधिकारी
कोषागार लखनऊ
T R Y. L K O.

(19)

जोकि उपरोक्त विक्रीशुदा कृषि आराजी खसरा के हस्तान्तरण से उ0प्र0 जमींदारी उन्मूलन व भूमि सुधार अधिनियम 1952 की धारा 168 ए, के प्राविधानों का उल्लंघन नहीं होता है।

जोकि उपरोक्त विक्रीशुदा कृषि आराजी खसरा राष्ट्रीय राजमार्ग या अन्तर्राजकीय राजमार्ग या जनपदीय मार्ग या लिंक मार्ग पर स्थित नहीं है तथा मुख्य मार्ग सुल्तानपुर रोड से लगभग 1 किमी0 की दूरी पर स्थित हैं। तथा 500 मीटर की परिधि में कोई निर्माण नहीं है।

100/-

क्रमांक 9 900 धनराशि

दिनांक 26/8/08

प्रयोजन

क्रेता का नाम

पता

स्टाम्प वेन्डर लता श्रीवास्तव

ला० नं० 58 ला० अ० 31/3/2010

कलेक्ट्रेट कोर्ट, लखनऊ

जोकि विक्रेता तथा क्रेता अनुसूचित जाति अथवा अनुसूचित जन जाति के सदस्य है तथा इस विक्रय विलेख के पूर्व उनके मध्य कोई भी इकरारनामा नहीं हुआ है।

जोकि उपरोक्त विक्रीशुदा कृषि आराजी खसरा पर कोई फलदार वृक्ष या इमारती लकड़ी के वृक्ष नहीं लगे हैं।

जोकि उपरोक्त बिक्रीशुदा आराजी कृषि भूमि है व ग्राम मोअज्जमनगर में स्थित है जोकि सामान्य ग्राम की श्रेणी में आता है, इसके अतिरिक्त नगर निगम की सीमा से बाहर है।

विक्रय किये जा रहे आराजी कृषि खसरा संख्या 63 रकबा 0.0130 हेक्टेयर व खसरा संख्या 68 ख रकबा 0.2960 हेक्टेयर, दो किता सम्पूर्ण भाग जिसका कि कुल रकबा 0.3090 हेक्टेयर है उक्त ग्राम का सर्किल रेट 2,80,000/- रूपये प्रति हेक्टेयर है जिसके अनुसार विक्रित आराजी की बाजारू मालियत 86,520/- होती है, परन्तु विक्रय मूल्य 10,98,000/- रूपये है जोकि बाजारू मालियत से कहीं अधिक है और जिस पर कि नियमानुसार 5 प्रतिशत की दर से मुबलिग रू0 54,900/- की स्टाम्प डयूटी इस विक्रय अभिलेख पर अदा की जा रही है।

विक्रीत भूखण्ड परिशिष्ट-'क' में दी गई सड़कों पर स्थित नहीं है।

विक्रेता ने अपनी पहचान के साक्ष्य में भारत निर्वाचन आयोग द्वारा जारी किया गया पहचान पत्र सं0 यू0पी0/21/106/129321 प्रस्तुत किया।

विवरण विक्रीशुदा कृषि आराजी

आाजी खसरा संख्या 63 रकबा 0.0130 हेक्टेयर व खसरा संख्या 68 ख रकबा 0.2960 हेक्टेयर दो किता सम्पूर्ण भाग जिसका कि कुल रकबा 0.3090 हेक्टेयर स्थित-ग्राम मोअज्जमनगर परगना व तहसील मोहनलालगंज जिला लखनऊ, जिसकी चौहददी निम्न प्रकार है :-

कार्यालय

<u>चौहद्दी खसरा सं0 63 –</u>

पूरब	–	गाटा सं0 61
पश्चिम	–	गाटा सं0 65
उत्तर	–	गाटा सं0 60
दक्षिण	–	गाटा सं0 64

<u>चौहद्दी खसरा सं0 68 ख–</u>

पूरब	–	गाटा सं0 180
पश्चिम	–	गाटा सं0 70
उत्तर	–	गाटा सं0 67
दक्षिण	–	गाटा सं0 69

<u>तफसील वसूलयाबी ज़र समन</u>

1. एकाउन्ट चेक सं0 –494035 दिनांक 20.08.2008 रू0 10,98,000/– (रू0 दस लाख अठ्ठानब्बे हजार मात्र), केनरा बैंक, हजरतगंज शाखा, लखनऊ पर आहरित है।

अब विक्रेता को क्रेता से कोई धनराशि प्राप्त करना शेष नहीं रह गयी है। इस विक्रय–विलेख का मसविदा विक्रेता व क्रेता के बताये गये तथ्यों के आधार पर तैयार किया गया है, परन्तु यदि विक्रय विलेख के कोई भी तथ्य मिथ्या पाये जाते है तो ऐसी स्थिति में मसविदा कर्ता की कोई जिम्मेदारी नहीं होगी।

इस विक्रय विलेख के तथ्यों को विक्रेता व क्रेता को पढ़कर सुनाया गया और जिसको कि दोनों ने भलीभांति समझ लिया है।

लिहाज़ा यह विक्रय–विलेख समक्ष गवाहान आज दिनांक 20 अगस्त, 2008 को तहसील मोहनलालगंज, जिला लखनऊ में विक्रेता ने बिना किसी ज़ोर–दबाव के अपनी स्वेच्छा एवं स्वस्थ मस्तिष्क से क्रेता के हक में निष्पादित कर दिया ताकि सनद रहे और वक्त ज़रूरत पर काम आवे।

गवाहान :–

1. अमरेन्द्र वर्मा
   पुत्र राम मिलन वर्मा
   निवासी गोसाईगंज, लखनऊ

(सुकई)
विक्रेता

2. विजय पाल सिंह
   पुत्र स्व0 स्वतंत्र पाल सिंह
   निवासी हीरालाल कालोनी,
   सरोजनी नगर लखनऊ

(बिहारी लाल)
क्रेता

टाईपकर्ता :–
(सुधीर शुक्ला)
लखनऊ।

मसविदाकर्ता :–
(संजय श्रीवास्तव)
एडवोकेट
सिविल कोर्ट, लखनऊ।

रजिस्ट्रेशन अधि0 1908 की धारा –32–ए के अनुपालन हेतु फिंगर्स प्रिन्ट्स

विक्रेता/क्रेता का नाम पता – **सुकई,** पुत्र नन्हें निवासी–मोअज्जमनगर परगना व तहसील मोहनलालगंज, जनपद लखनऊ।

बायें हाथ के अंगुलियों के चिन्ह –

दाहिने हाथ के अंगुलियों के चिन्ह –

विक्रेता / क्रेता के हस्ताक्षर

विक्रेता/क्रेता का नाम पता – **बिहारी लाल'** पुत्र स्व0 दयाराम निवासी बी–46, जे0 पार्क महानगर, लखनऊ।

बायें हाथ के अंगुलियों के चिन्ह –

दाहिने हाथ के अंगुलियों के चिन्ह –

विक्रेता / क्रेता के हस्ताक्षर

नजरी नक्शा भूमि विक्रीत की 200 मी० की त्रिज्या
में स्थित सम्पत्तियों का

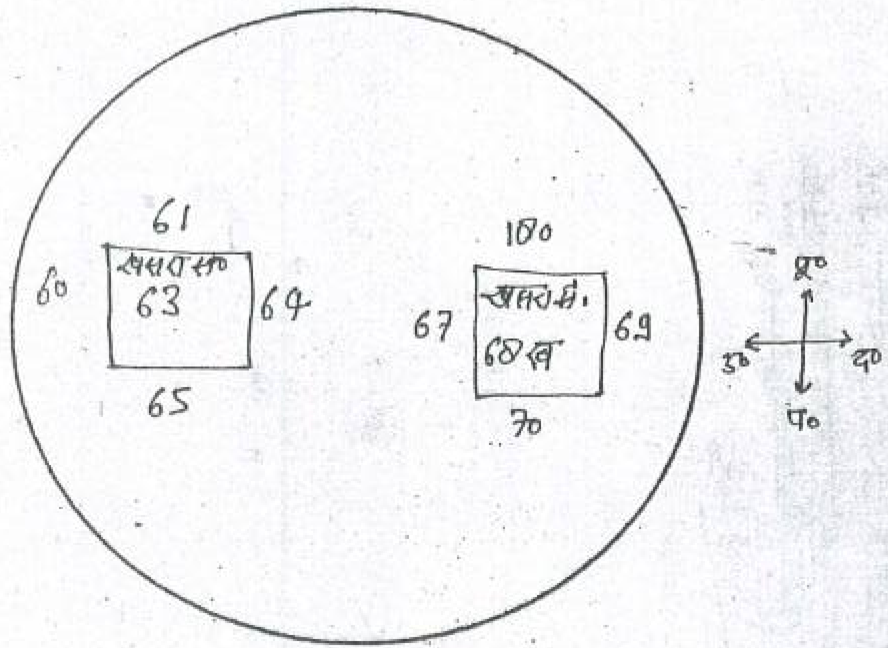

विक्रेता का नाम :- छुकई

पिता का नाम :- नन्हे

नि० ग्राम :- मोअज्जम नगर परगना व तहसील मोहनलाल गंज जिला लखनऊ

क्षेत्रफल खसरा सं० 63 व 68 ख कुल रकबा 0.3090 हेक्टेयर

भूमि स्थित ग्राम मोअज्जम नगर

परगना मोहन लाल गंज

तहसील मोहनलालगंज, लखनऊ।

ह०/नि०अ०विक्रेता

ह०/नि०अ० क्रेता

मसविदाकर्ता के हस्ताक्षर

आज दि० 20/08/08 को फोटो स्टेट प्रति
पुस्तक संख्या 1 खण्ड 1671 के
पृष्ठ 1/40 पर क्रम संख्या 3411 पर
रजिस्ट्रीकृत किया गया

एस० के० मिश्र
उप निबन्धक
मोहनलालगंज, लखनऊ

छाया प्रति प्रमाणित

उप निबन्धक
मोहनलालगंज, लखनऊ
1-5-17

अशोक कुमार गुप्ता
नि० लि०

शुभम श्रीवा०
नि० लि०